<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।</u>

UPUN120003782024

सरकार बनाम पवन कुमार

फौजदारी वाद सं0—285/2024
अ0सं0—287/2021
धारा—323,504,506 भा0दं0सं0
थाना—बिहार जिला उन्नाव।

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त पवन कुमार उपस्थित। प्रस्तुत आपराधिक वाद में अभियुक्त पवन कुमार तथा वादिनी लक्ष्मी देवी की ओर से प्रार्थनापत्र दिनांकित 06.06.2026 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त तथा वादिनी के मध्य सुलह समझौता हो गया है। जो पत्रावली पर संलग्न है। उक्त सुलहनामा के आधार पर मुकदमें को निर्णीत किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत वाद में वादिनी लक्ष्मीदेवी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित कुमार मिश्रा द्वारा अग्रसारित किया गया तथा वादिनी द्वारा अपना पहचान पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। वादिनी द्वारा अपना सुलहनामा दिनांकित 06.06.2026 पत्रावली पर दाखिल किया गया है, जिसके अवलोकन से विदित है कि उभयपक्षों के मध्य प्रश्नगत मुकदमें में सुलह हो चुकी है, चूँकि अभिकथित अपराध अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 धारा 320 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत समनीय प्रकृति का है। अतः अभिकथित अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में वादिनी मुकदमा का प्रार्थनापत्र दिनांक 06.06.2026 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र दिनांकित 06.06.2026 अन्तर्गत धारा 320 दं0प्र0सं0 स्वीकार कर वादिनी मुकदमा लक्ष्मीदेवी तथा राजकुमार को अभियुक्त से अपराध अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा0दं0सं0 सुलह/ समन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अभियुक्त पवन कुमार को फौजदारी वाद सं0 285/2024, अ0सं0—287/2021 धारा 323,504,506 भा0दं0सं0, थाना बिहार, जिला उन्नाव के प्रकरण में दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक— 24.06.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।